

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (523) परि/नियम/मु./2014/पार्ट/२९३२

जयपुर, दिनांक: २०/२/१७

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (समस्त)  
.....(राज.)।

विषय: ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पूर्व विभागीय पत्र क्रमांक 35684 दिनांक 16.05.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कि प्रति संलग्न कर लेख है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(cb) एवं 2(cc) में तीन पहिया बैट्री चलित वाहनों (यात्री/भार) जिसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रतिघंटा एवं मोटर की क्षमता 2000 वॉट से अधिक नहीं हो, को ई-रिक्शा/कार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। इन वाहनों को यात्रियों को अंतिम छोर तक (Last Mile Connectivity) यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। पूर्व में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 में मोटर यानों के संबंध में परमिट की अनिवार्यता की गई थी, परन्तु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2016 जारी कर ई-रिक्शा /ई-कार्ट वाहनों को धारा 66 के प्रावधान से मुक्त कर दिये जाने के कारण परमिट की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इन वाहनों पर परमिट की बाध्यता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप संख्या सीमित किया जाना संभव नहीं है। ई-रिक्शा/ई-कार्ट चालको के लाईसेंस में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा मार्ग का पृष्ठांकन होने के पश्चात् ही लाईसेंस जारी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में ई-रिक्शा/ई-कार्ट के सुगम संचालन एवं अंतिम छोर तक परिवहन सेवा उपलब्ध किये जाने के दृष्टिगत ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन के लिये क्षेत्र अथवा मार्ग अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र/मार्ग अधिसूचित नहीं होने की स्थिति में ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालको को लाईसेंस जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा राज्य सरकार को स्थानीय यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत ई-रिक्शा/कार्ट वाहनों को विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा मार्ग पर संचालन को निषिद्ध करने हेतु अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। इस संबंध में पूर्व में भी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। अतः पुनः निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-


1. राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.1 में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को मोटर यानों को सामान्यतः अथवा किसी वर्ग विशेष को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा किसी भी सड़क के संबंध में प्रतिबन्धित करने की शक्ति निहित है, अर्थात् आपके स्तर पर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग पर वाहनों अथवा

वाहन विशेष यथा ई-रिक्शा/ई-कार्ट, ऑटो रिक्शा, मिनीबस आदि के संचालन को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

2. आपके क्षेत्राधीन परिवहन जिलों में स्थानीय यातायात व्यवस्था हेतु गठित यातायात प्रबंधन समिति/यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में निर्णय उपरांत ई-रिक्शा/कार्ट वाहनों के संचालन हेतु स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे मार्गों/क्षेत्रों को अधिसूचित किया जावे जहां ये वाहन अंतिम छोर तक सुगम, सुरक्षित एवं कम प्रदूषणकारी यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयुक्त हो एवं ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों को लाईसेंस जारी किया जाना संभव हो सके।
3. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर वाहनों का संचालन अत्यधिक होता है एवं इन मार्गों पर वाहनों की सामान्य गति भी ई-रिक्शा/ई-कार्ट की अधिकतम गति से अधिक होती है। ऐसे में इन वाहनों के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर संचालित होने से यातायात बाधित होता है। इस हेतु भी यातायात नियंत्रण बोर्ड/यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में उचित निर्णय लिये जाने के उपरांत राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर इन वाहनों के संचालन को नियम 8.1 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावे।

संलग्न:-

1. संदर्भित पत्र दिनांक 16.05.2017
2. अधिसूचना दिनांक 08.10.2014
3. आदेश दिनांक 30.08.2016



(राजेश यादव)  
परिवहन आयुक्त  
एवं शासन सचिव

क्रमांक: प.7 (523) परि/नियम/मु./2014/पार्ट/2933-35

जयपुर, दिनांक: 20/12/19

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (सदस्य, सचिव यातायात प्रबंधन समिति/यातायात नियंत्रण बोर्ड) को उपरोक्त संलग्नकों को प्रेषित कर लेख है कि समिति/बोर्ड की बैठक में मार्ग/क्षेत्र निर्धारित कराकर ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के लर्निंग/स्थाई लाईसेंस जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
2. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (523) परि/नियम/मु./2014/पार्ट/35684

जयपुर, दिनांक: 16/05/20

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (समस्त)  
.....(राज.)।

विषय: ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(cb) एवं 2(cc) में तीन पहिया बैट्री चलित वाहनों (यात्री/भार) जिसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रतिघंटा एवं मोटर की क्षमता 2000 वॉट से अधिक नहीं हो, को ई-रिक्शा/कार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। इन वाहनों को यात्रियों को अंतिम छोर तक (Last Mile Connectivity) यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 में मोटर यानों के संबंध में परमिट की अनिवार्यता की गई है, किन्तु ई-रिक्शा/ई-कार्ट वाहनों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.08.2016 जारी कर उक्त धारा 66 के प्रावधान से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन वाहनों की संख्या सीमित नहीं करने हेतु भी दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। इन वाहनों पर परमिट की बाध्यता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप संख्या सीमित किया जाना संभव नहीं है, किन्तु अधिसूचना दिनांक 30.08.2016 द्वारा राज्य सरकार को स्थानीय यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत ई-रिक्शा/कार्ट वाहनों को विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा मार्ग पर संचालन को निषिद्ध करने हेतु अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.1 में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को मोटर यानों को सामान्यतः अथवा किसी वर्ग विशेष को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा किसी भी सड़क के संबंध में प्रतिबन्धित करने की शक्ति निहित है, अर्थात् आपके स्तर पर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग पर वाहनो अथवा वाहन विशेष यथा ई-रिक्शा/ई-कार्ट, ऑटो रिक्शा, मिनीबस आदि के संचालन को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
2. आपके क्षेत्राधीन परिवहन जिलों में स्थानीय यातायात व्यवस्था हेतु गठित यातायात प्रबंधन समिति/यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में निर्णय उपरांत ई-रिक्शा/कार्ट वाहनों के संचालन हेतु स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे मार्गों/क्षेत्रों को अधिसूचित किया जावे जहां ये वाहन अंतिम छोर तक सुगम, सुरक्षित एवं कम प्रदूषणकारी यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयुक्त हो।

3. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर वाहनों का संचालन अत्यधिक होता है एवं इन मार्गों पर वाहनों की सामान्य गति भी ई-रिक्शा/ई-कार्ट की अधिकतम गति से अधिक होती है। ऐसे में इन वाहनों के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर संचालित होने से यातायात बाधित होता है। इस हेतु भी यातायात नियंत्रण बोर्ड/यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में उचित निर्णय लिये जाने के उपरांत राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं मुख्य मार्गों पर इन वाहनों के संचालन को नियम 8.1 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)

प्रमुख शासन सचिव

एवं परिवहन आयुक्त





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936

No. 517]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2014

**सा.का.नि. 709 (अ).—** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 666(अ), तारीख 17 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; दस दिन की अवधि के समाप्त होने से के पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17 सितंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 27, धारा 64 और धारा 110 और धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के उपनियम (गक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(गख) "ई-रिक्शा" से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु,--

(i) ऐसा यान चार से अधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है;

(ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है ;

(iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है ।।

'(गग) "ई-गाड़ी" से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु,--

(i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

(ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है ;

(iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है ।।

3. उक्त नियम के नियम 16 में, उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) ई-रिक्षा या ई-गाड़ी चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी या नवीकृत प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि या चालन अनुज्ञप्ति के विधिमान्य रहने तक, जो भी पूर्वतर हो, वैध रहेगी ।।"

4. उक्त नियम के नियम 50 में, उपनियम (1) के खंड (vi) की सारणी में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल और ई-रिक्षा या ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 51 की सारणी में, क्रम सं0 5 के सामने की प्रविष्टि के स्तंभ 2 में, अंत में आने वाले "तिपहिया वाहन" शब्दों के पश्चात्, "और ई-रिक्षा या ई-गाड़ी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियम के नियम 56 के उपनियम (2) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "बीमा प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "बीमा प्रमाणपत्र ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) ई-रिक्षा और ई-गाड़ी के मामले में चालन अनुज्ञप्ति और परमिट ।।"

7. उक्त नियम के नियम 57 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "प्रमाणित प्रति" शब्दों के स्थान पर, "प्रमाणित प्रति ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) ई-रिक्षा और ई-गाड़ी के स्वामित्व के अंतरण के मामले में चालन अनुज्ञप्ति और परमिट ।।"

8. उक्त नियम के नियम 62 के उपनियम (1) में,--

(i) सारणी में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(खक) ई-रिक्षा और ई-गाड़ी के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण

तीन वर्ष ।।"

(ii) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि ई-रिक्षा और ई-गाड़ी के मामले में, ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात् ही किया जाएगा :-



## सारणी

मद	चेक फिटमेंट	मूल सिफारिश के अनुसार चेक मेक/टाइप/ रेटिंग, आदि	उपकरण	चेक दशा	चेक गतिविधि	परीक्षण	टिप्पणी
अधिकतम गति	नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	हां	सीधी या सपाट सड़क पर बिना भार के यान (पूरे चार्ज के साथ तथा पूरे एक्सेलेरेटर स्थिति में) चलाया जाएगा और जब यान पूरी गति प्राप्त कर ले, तो नियत दूरी (जैसे 50 मीटर) की यात्रा में लिए गए समय के माप द्वारा अधिकतम गति संगणित की जाएगी।"

9. उक्त नियम के नियम 93 में,--

(क) उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की समग्र चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

(ख) उपनियम (2) में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(viii) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में, 2.8 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

(ग) उपनियम (4) में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में, 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

10. उक्त नियम के नियम 94 में, उपनियम (3) के खंड (iv) में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल और ई-रिक्शा और ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम के नियम 95 में, उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त नियम के नियम 96 में, उपनियम (4) में,--

(क) खंड (i) में, "दुपहिया और तिपहिया" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा और ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ii) में, "कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर" शब्दों के स्थान पर, "कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियम के नियम 117 के उपनियम (1) में, "बिगड़ी हुई गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान (निर्माण यान उपस्कर सहित) या किसी यान, जिसकी अभिकल्पित गति प्रति घंटे तीस किलोमीटर से अधिक नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "अवैध गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान (निर्माण यान उपस्कर सहित) या ई-रिक्शा और ई-गाड़ी या यान," शब्द रखे जाएंगे।

14. उक्त नियम के नियम 119 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक ई-रिक्शा और ई-गाड़ी को लागू होंगी।"

15. उक्त नियम के नियम 122 के उपनियम (1) में,--

(क) परंतुक में, "एन वर्ग के यान और मालवाहक चौपहिया साइकिल" अक्षर और शब्दों के स्थान पर, "एन वर्ग के यान, मालवाहक चौपहिया साइकिल, ई-रिक्शा तथा ई-गाड़ी" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक ई-रिक्षा और ई-गाड़ी को लागू होंगी :

परंतु यह कि जहां कहीं ई-रिक्षा के अनुमोदन के लिए ई-रिक्षा रजिस्टर्ड संघ आवेदन करेगा, वहां परीक्षण अभिकरण यान पहचान संख्यांक प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होंगे।"

16. उक्त नियम के नियम 126 में "ट्रैलर और अर्द्धट्रैलरों से भिन्न मोटर यान" शब्दों के पश्चात् "जिसमें ई-रिक्षा के लिए, जहां लागू हो, रजिस्टर्ड संघ (संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा पहचान प्राप्त) भी है" शब्द रखे जाएंगे।

17. उक्त नियम के प्ररूप 2 में, वर्ग "(छ)" के पश्चात्, और "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" से पहले निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) ई-रिक्षा

"(झ) ई-गाड़ी।"

18. उक्त नियम के प्ररूप 3 में, "एक शिक्षार्थी के रूप में" से प्रारंभ होने वाले और "अनुज्ञाप्त किया जाता है" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"एक शिक्षार्थी के रूप में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित वर्ग के मोटरयान को भारत में सर्वत्र और ई-रिक्षा या ई-गाड़ी के मामले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या रूटों पर, चलाने के लिए अनुज्ञाप्त किया जाता है।"

19. उक्त नियम के प्ररूप 4 में, वर्ग "(छ)" के पश्चात्, और "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" से पहले निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) ई-रिक्षा

"(झ) ई-गाड़ी।"

20. उक्त नियम के प्ररूप 6 में, "इस अनुज्ञप्ति के धारकों" से प्रारंभ होने वाले और "अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इस अनुज्ञप्ति के धारकों को निम्नलिखित वर्णन के मोटरयान को संपूर्ण भारत में और ई-रिक्षा या ई-गाड़ी के मामले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या रूटों पर, चालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।"

21. उक्त नियम के प्ररूप 7 में, "मशीन पठनयोग्य क्षेत्र" शीर्ष के अधीन, "बैज विवरण" उपशीर्ष से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"..... (क्षेत्रों या रूटों को विनिर्दिष्ट करें) में ई-रिक्षा या ई-गाड़ी चालन के लिए प्राधिकृत करना।"

22. उक्त नियम के प्ररूप 8 में, वर्ग "(ज)" के पश्चात्, निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ट) ई-रिक्षा

"(ठ) ई-गाड़ी।"

[सं. आर.टी.-11036/80/2012-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि.602(अ), तारीख 21 अगस्त, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।



## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2014.

**G.S.R.709(E).**—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 666 (E), dated the 17<sup>th</sup> September, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of ten days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 17<sup>th</sup> September, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27, 64, 110 and 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 2, after clause (ca), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

‘(cb) “E-rickshaw” means a special purpose battery operated vehicle having three wheels and intended to provide last mile connectivity for transport of passengers for hire or reward, provided,—

(i) such vehicle is constructed or adapted to carry not more than four passengers, excluding the driver, and not more than forty kilograms luggage in total;

(ii) the net power of its motor is not more than 2000 W;

(iii) the maximum speed of the vehicle is not more than twenty-five kilometer per hour;

(cc) “E-cart” means a special purpose battery operated vehicle having three wheels and intended to provide last mile connectivity for carrying goods for hire or reward, provided,—

(i) such vehicle is constructed or adapted for carrying goods by providing a separate load body or compartment with the maximum weight three hundred and ten kilograms in addition to driver;

(ii) the net power of its motor is not more than 2000 W;

(iii) the maximum speed of the vehicle is not more than twenty-five kilometer per hour;’.

3. In the said rules, in rule 16, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6) Every driving license issued or renewed by a licensing authority to drive an

E-rickshaw or E-cart shall be valid for a period of not more than three years from the date of issue, as the case may be, or till the validity of the driving licence, whichever is earlier.”.

4. In the said rules, in rule 50, in sub-rule (1), in clause (vi), in the Table, for the words “two wheelers, three wheelers and quadricycles”, the words “two wheelers, three wheelers, quadricycles, E-rickshaws and E-carts” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 51, in the Table, in the entries against serial number 5, in column 2, at the end, after the numerals and letters “500 cc”, the words “E-rickshaws and E-carts” shall be inserted.

6. In the said rules, in rule 56, in sub-rule (2),

(i) the word “and” occurring at the end of clause (c) shall be omitted;

(ii) in clause (d), at the end, for the word “insurance”, the words “insurance; and” shall be substituted;

(iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

“(e) driving license and permit in case of E-rickshaw and E-cart.”.

7. In the said rules, in rule 57, in sub-rule (1),-

- (i) the word “and” occurring at the end of clause (c) shall be omitted;
- (ii) in clause (d), at the end, for the word “vehicle”, the words “vehicle; and” shall be substituted;
- (iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —

“(e) driving licence and permit in case of transfer of ownership of E-rickshaw and E-cart.”.

8. In the said rules, in rule 62, in sub-rule (1),-

- (i) in the table, after item (b) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:-

“(ba) renewal of certificate of fitness in respect of E-rickshaw and E-cart three- years”;

- (ii) after the proviso and before the Explanation, the following shall be inserted, namely: —

“Provided further that in case of E-rickshaw and E-cart, the renewal of fitness certificate shall be made only after carrying out tests specified in the Table given below:-

TABLE

Items	Check Fitment	Check make or Type rating, etc., as per original equipment recommendation	Check conditions	Check function -ing	Test	Remarks
Maximum speed	No	No	No	No	Yes	The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (say 50 metres).”.

9. In the said rules, in rule 93, —

- (a) in sub-rule (1), after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that the overall width of an E-rickshaw and E-cart shall not exceed 1.0 metres.”;

- (b) in sub-rule (2), after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely: —

“(viii) in the case of E-rickshaw and E-cart, shall not exceed 2.8 metres.”;

- (c) in sub-rule (4), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: —

“(v) in the case of E-rickshaw and E-cart, shall not exceed 1.8 metres.”.



10. In the said rules, in rule 94, in sub-rule (3), in clause (iv), for the words "two wheeler, three wheeler and quadricycle", the words "two wheeler, three wheeler, quadricycle, E-rickshaw and E-cart" shall be substituted.
11. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (1), in the first proviso, for the words "in the case of two wheeler, three wheeler and quadricycle", the words "in the case of two wheeler, three wheeler, quadricycle, E-rickshaw and E-cart" shall be substituted.
12. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4),—
- (a) in clause (i), for the words "two wheelers and three wheelers", the words "two wheelers, three wheelers, E-rickshaw and E-cart" shall be substituted;
  - (b) in clause (ii), for the words "agricultural tractors and power tillers", the words "agricultural tractors, power tillers, E-rickshaws and E-carts" shall be substituted.
13. In the said rules, in rule 117, in sub-rule (1), the words "other than an invalid carriage or a vehicle, the designed speed of which does not exceed thirty kilometers per hour", the words "other than an invalid carriage or an E-rickshaw or E-cart or a vehicle" shall be substituted.
14. In the said rules, in rule 119, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided also that on and after the date of final publication of the Central Motor Vehicles (16<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every E-rickshaw and E-cart."
15. In the said rules, in rule 122, in sub-rule (1),—
- (a) in the proviso, for the letter and words "N category vehicle and Goods Quadricycle", the letter and words "N category vehicle, Goods Quadricycle, E-rickshaw and E-cart" shall be substituted;
  - (b) after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely: —
- "Provided also that on and after date of final publication of the Central Motor Vehicles (16th Amendment) Rules, 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every E-rickshaw and E-cart:
- Provided also that the test agencies shall be authorised to provide a vehicle identification number, wherever registered association applies for approval for E rickshaw."
16. In the said rules, in rule 126, the words "including registered association (identified by the concerned State Transport department) for E rickshaw, wherever applicable" after the words "motor vehicles other than trailers and semi-trailers", shall be inserted.
17. In the said rules, in Form 2, after category "(g)" and before "PARTICULARS TO BE FURNISHED BY APPLICANT", the following motor vehicle categories shall be inserted, namely:-
- "(h) E-rickshaw
  - (i) E-carts."
18. In the said rules, in Form 3, for the portion beginning with "is licenced to drive" and ending with "motor vehicle of the following description", the following shall be substituted, namely:-
- "is licensed to drive a motor vehicle of the following description throughout India and, in case of E-rickshaw or E-cart, in specified areas or routes, as a learner, subject to the provisions of rule 3 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989".
19. In the said rules, in Form 4, after category "(g)" and before "PARTICULARS TO BE FURNISHED BY APPLICANT", the following motor vehicle category shall be inserted, namely:-
- "(h) E-rickshaw
  - (i) E-cart."
20. In the said rules, in Form 6, for the portion beginning with "The holder of this licence" and ending with "vehicles of the following description", the following shall be substituted, namely:-
- "The holder of this licence is licensed to drive vehicles of the following description, throughout India and, in case of E-rickshaw or E-cart, in specified areas or routes".
21. In the said rules, in Form 7, under the heading "MACHINE READABLE ZONE", before the subheading "Badge Details", the following shall be inserted, namely:—

“Authorisation to drive E-rickshaw or E-cart in ..... (specify areas or routes)”.

22. In the said rules, in Form 8, after category “(j)”, the following motor vehicle category shall be inserted, namely:-

“(k) E-rickshaw


“(l) E-cart.”.

[No.RT-11036/80/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 602 (E), dated the 21st August, 2014.





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2125]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2016/भाद्र 8, 1938

No. 2125]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2016/BHADRA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

का.आ. 2812(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध, उपरोक्त अधिनियम की धारा 2क में यथा परिभाषित ई-कार्ट और ई-रिक्शा जो क्रमशः मालों और वैयक्तिक सामान के साथ यात्रियों के वहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं या किए जाने हैं, के प्रवर्ग के परिवहन यानों को लागू नहीं होंगे।

परंतु राज्य सरकारें इन यानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाने पर समुचित यातायात विधियों के अधीन निबंधन अधिरोपित कर सकती हैं।

[फा. सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**ORDER**

New Delhi, the 30th August, 2016.

**S.O. 2812(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby orders that the provisions of sub-section (1) of section 66 of the said Act shall not apply to any transport vehicle of the category e-cart and e-rickshaw as defined in section 2A of the aforesaid Act used, or to be used, for the purpose of carriage of goods and passengers with their personal luggage respectively :

Provided that the State Governments may impose restrictions under appropriate traffic laws on plying of these vehicles in specific areas or specific roads.

[F. No. RT-11036/80/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.